Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

मामला राकेश कुमार बनाम पालाराम आदि

धारा 88,53 आर.टी.ए. संख्या वाद संख्या 2~3 / 2019

	हुक्म या कार्यवाही मय आनिशान्त जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 21.8.2019 को पेश हो।	
22.7.19	वादी अभि द्वारा ज.पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी से लीगई। वादी अभि. उप. व प्रति. 0.1 की ओर से श्री आर. के. स्वामी ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी 0.1 ने राजीनामा पेश किया। बाद निर्णय का कार्य स्थगन हेतु पत्रावली तलबी प्रति. 0. 2 व साक्ष्य वादी दिनांक 29.7.19 को पेश हो।	राकेश Adv ANAu पालाराम
29/7/19	बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 2-8-19....को पेश हो।	
2-8-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित वादी की ओर से साक्ष्य शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जिरह नहीं करने का कथन किया राजीनामा होने के कारण बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी कि गई निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नक्शर से ...	

Scanned by CamScanner

ायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

ासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

स्व वाद संख्या :– 203/2019

1 राकेश कुमार पुत्र श्री पालाराम, जाति जाट, निवासी 30 एस.एस.डब्ल्यू., तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 पालाराम पुत्र रामकरण, जाति जाट, निवासी 30 एस.एस.डब्ल्यू., तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी
2. श्री आर.के. खटोड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 02.08.2019

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है, के नाम चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 51/49, पत्थर नम्बर 98/315 (11) किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 एवम् पत्थर नम्बर 97/316 (19) किला नम्बर 11/1, 19, 20, 21, 22 कुल 2.404 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसका बंटवारा वादी एवम् प्रतिवादी ने आपस में कर रखा है जिस क्रम में वादी को पत्थर नम्बर 97/316 (19) किला नम्बर 11/1, 19, 20, 21, 22 कुल 1.139 हैक्टर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादी के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए वादी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी को मुताबिक कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी का खाता प्रवितादी से सांझा होनें के कारण वादी के साथ प्रतिवादी का सींव बट का झगड़ा बना रहता है, इसलिये खाता प्रतिवादी से अलग कायम करवानें का अधिकारी है। वादी नें कई दफा प्रतिवादी से निवेदन किया कि मुताबिक कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार घोषित करवा दो तो पहले तो टाल मटोल करते रहे, गत सप्ताह इन्कार हो गये, यही वाद कारण है।

वादी श्रीमान् न्यायालय का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है, कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री स्वीकार फरमाया जावे :–

(क) प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वादी के कब्जा काश्त की हद तक कलमजन किया जाकर वादी को चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 97/316 (16) किला नम्बर 11/1, 19, 20, 21, 22 कुल 1.139 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार खाता प्रतिवादी से अलग कायम किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

लगातार 2

Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 22.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा पहचान किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि द्वितीय पक्षकार जो कि प्रथम पक्षकार का पिता है, के नाम चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 51/49, पत्थर नम्बर 98/315 (11) किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 एवम् पत्थर नम्बर 97/316 (19) किला नम्बर 11/1, 19, 20, 21, 22 कुल हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। मुताबिक कब्जा काश्त प्रथम पक्षकार को चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 97/316 (19) किला नम्बर 11/1, 19, 20, 21, 22 कुल 1.139 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन किया जाता है, तो द्वितीय पक्षकार को कोई उज्र एतराज नहीं है।

राजीनामा पक्षकारान आज हाजिर अदालत आकर श्रीमान के समक्ष तस्दीक फरमाया जा रहा है।

लिहाजा राजीनामा पक्षकारान पेश कर निवेदन है कि द्वितीय पक्षकार का प्रथम पक्षकार की कब्जा काश्त चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 97/316 (19) किला नम्बर 11/1, 19, 20, 21, 22 की कुल 1.139 हैक्टर की हद तक कलमजन कर प्रथम पक्षकार को उक्त रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1937 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियो का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति मे शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनो की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1पालाराम के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 51/49 की कुल 2.404 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होनें के कारण वादी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 पालाराम के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 32 एस.एस. डब्ल्यू. के खाता संख्या 51/49 की कुल 2.404 हैक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 राकेश कुमार जो प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है, को 1.139 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है :–

1. वादी राकेश कुमार पुत्र श्री पालाराम, जाति जाट, निवासी 30 एस.एस.डब्ल्यू., तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
32 एस.एस.डब्ल्यू.	51/49	97/316 (19)	11/1/.127, 19 ता 22 सालम	1.139 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 02.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 203/2019

1 राकेश कुमार पुत्र श्री पालाराम, जाति जाट, निवासी 30 एस.एस.डब्ल्यू., तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 पालाराम पुत्र रामकरण, जाति जाट, निवासी 30 एस.एस.डब्ल्यू., तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 02.08.2019

वादी की और से श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री आर.के. खटोड़ अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 02.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 पालाराम के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 32 एस.एस. डब्ल्यू. के खाता संख्या 51/49 की कुल 2.404 हैक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 राकेश कुमार जो प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है, को 1.139 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है :–

1. वादी राकेश कुमार पुत्र श्री पालाराम, जाति जाट, निवासी 30 एस.एस.डब्ल्यू., तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
32 एस.एस.डब्ल्यू.	51/49	97/316 (19)	11/1/.127, 19 ता 22 सालम	1.139 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 02.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 10:22:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: